न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 104/2023
GCMS No. : 2023/244

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण :–**
जरिये सरकार नारायणसिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. लाखाराम पुत्र हुक्माराम जाति देवासी निवासी रेबारियों का बास काटड़ी बाडमेर मैसर्स कृष्णा दूध डेयरी मैन बस स्टेण्ड बांता तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51"

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वंय उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/12/2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 19.04.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स कृष्णा दूध डेयरी मैन बस स्टेण्ड बांता तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम लाखाराम पुत्र हुक्माराम बताया एवं स्वंय को दुकान का मालिक होना बताया। फर्म के निरीक्षण के दौरान डेयरी मे रखे फ्रिज में लगभग 20 लीटर मिक्स दूध रखा हुआ था। जिसे अप्रार्थी ने आमजन को विक्रय हेतु रखा था जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने मिक्स दूध का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया और जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि स्थिति में मेरे साथ आये ओमप्रकाश कम्प्युटर ऑपरेटर कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को यह बता दिया की मिक्स दूंध का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 02 किलो मिक्स दूध वास्ते जांच हेतु क्रय कर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उसकी कीमत 100/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा मिक्स दूध को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–1812 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई। नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया मिक्स दूध का नमूना संख्या आर–1812 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1088/एक्ट/2023/1129 दिनांक 08.05.2023 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) मिक्स दूध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी की फर्म से लिया गया मिक्स दूध का नमूना अवमानक स्तर का पाया गया है, अप्रार्थी ग्रामीण क्षैत्र में रहने वाले ग्वालो से दूध लेकर अपनी डेयरी मे संग्रहण कर आमजन को विक्रय करता है जिसमें अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती थी, जिस अवस्था में खरीद किया जाता है उसी अवस्था में आजमन को विक्रय किया जाता था। वर्तमान में उक्त डेयरी व्यवसाय में अप्रार्थी को नुकसान होने से अप्रार्थी डेयरी व्यवयाय बन्द कर अपने पृतक गावं बाडमेर चला गया है व खेती बाडी कर अपना जीवनयापन करता है, अप्रार्थी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से अप्रार्थी के प्रति नम्र रूख अपनाते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.04.2023 को अप्रार्थी की फर्म से मिक्स दूध वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1812 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमूने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड़ नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये मिक्स दूध का नमूना कोड संख्या आर–1812 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया मिक्स दूध का नमुना Sub-standard

अति. जिला कलेक्टर, पाली

(अवमानक) पाया गया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी की दुकान नमूना लेते समय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई है, जो विधिवत एवं नियमानुसार है। अप्रार्थी द्वारा मिक्स दूध अवमानक स्तर का विनिमय/विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) मिक्स दूध का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत प्रत्येक अप्रार्थी पर 10,000/— अक्षरे दस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अति. जिला कलक्टर पाली